भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

फा0स0 113/विविध/2011–आर.सी.सी

दिनांक : 26 दिसम्बर, 2011

सेवा में,

गोवा, मणिपुर, पंजाब,
उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ।

विषयः– नामांकन पत्रों की संवीक्षा – लाभ का पद धारण करने के कारण निरर्ह घोषित किए जाने से छूट प्राप्त कार्यालयों के सम्बन्ध में –

महोदय/महोदया,

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के अनुसार, रिटर्निंग अधिकारी, नामांकन पत्रों की संवीक्षा किए जाते समय उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (2) के खण्ड (क) में उल्लिखित कारणों के आधार पर नामांकन अस्वीकार करेगा । अनुच्छेद 191 (1)(क) की शर्तो पर अभ्यर्थी के नामांकन अस्वीकार करने का एक आधार नामांकन पत्र की संवीक्षा की तारीख में अभ्यर्थी द्वारा सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करना है । सिवाय उस कार्यालय के जिसे राज्य विधान मंडल के विधि द्वारा घोषित किया गया हो कि इस पदधारक को निरर्हित घोषित न किया जाए । तदनुसार संसद एवं राज्य विधायी मंडल द्वारा अपने राज्यों के लिए संविधान के अनुच्छेद 191 (1)(क) की शर्तो पर कानून बनाया गया है कि कुछ लाभ का पद धारण करने वाले को ऐसी निरर्हता की परिधि से छूट प्राप्त हो । अतएव आपसे निवेदन किया जाता है कि नामांकन पत्रों की संवीक्षा के समय रिटर्निंग आफिसर की सुविधा के लिए आपके राज्य की निरर्हता के कारण हटाए जाने संबंधी अधिनियम की नवीनतम प्रतिलिपि रिटर्निंग आफिसर के सन्दर्भ हेतु उपलब्ध करवाई जाए । जिससे कोई भी नामांकन विधि की अद्यतन सूचना न होने के कारण अस्वीकृत न हो जाए । अधिनियम(यों) की एक प्रतिलिपि रिकार्ड के लिए आयोग को भी भेजी जाए ।

2. कृपया पावती भेजे ।

आदेश से,

(आशीष चकवर्ती)
सचिव

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रतिलिपि(गोवा, मणिपुर, पंजाब उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड के अलावा) राज्य में होने वाले किसी भी साधारण/उपनिर्वाचनों के समय समरूप कार्रवाई के लिए ।